Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

परिवाद पत्र सं.– 1444/2024 सी.आई.एस.क्र.– 1444/2024

रूपा देवी बनाम उज्जवल महतो एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
21.08.2025	परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। परिवादी के द्वारा यह परिवाद धारा 406, 420, 323, 504, 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। परिवादी के द्वारा स्वयं का शपथ पर बयान एवं दो जांच साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। सम्मन निर्गत करने के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संक्षेप में परिवादी का मामला यह है कि परिवादिनी एवं अभियुक्त के बीच मौजा बनमनखी स्थित जमीन खाता – 457, खेसरा 2036/3240, रकवा 4 डिसमील 200 वर्गकरी, चौहद्दी – उत्तर – एन.एच. दक्षिण – गोनर यादव, पूरब – निज विक्रेता तथा पश्चिम – बद्री यादव की खरीद की बात हुआ एवं तय कीमत 3 लाख रूपये परिवादिनी के द्वारा दिनांक 11.06.2021 को अभियुक्त को प्रदान कर दिया गया और अभियुक्त ने केवाला परिवादिनी के पक्ष में निष्पादित कर दिया। जब परिवादिनी अपने नाम से अंचल कार्यालय में नामांतरण कराने गयी तब परिवादिनी को बताया गया कि उक्त जमाबंदी में अब कोई भी भूमि शेष नहीं है और उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। बाद में पता चला कि उक्त जमीन को दिनांक 10.07.2021 को अभियुक्त ने शंकर ब्रह्मचारी के हाथ बेच दिया है और उसके नाम से नामांतरण भी हो चुका है। जब परिवादिनी दिनांक 15.06.2024 को अभियुक्तगण के घर पर जाकर शिकायत की तब अभियुक्तगण उसे अपमानित किये और बोले कि जो करना है करो। परिवादिनी घटना की जानकारी बनमनखी थाना में दी परंतु वहां से परिवादिनी को न्यायालय में केस करने का निर्देश दिया गया। तब परिवादिनी के द्वारा यह परिवाद पूर्णियॉ न्यायालय में दाखिल किया गया। परिवादिनी एवं जांच साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। परिवाद पत्र तथा परिवादिनी एवं जांच साक्षियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने पूर्व में विक्रय की गयी परिवादिनी की जमीन को बाद में किसी अन्य को बेच दिया जिस कारण से परिवादिनी के द्वारा अभियुक्तगण से शिकायत करने पर परिवादिनी के पिताजी एवं अन्य व्यक्ति के साथ धक्का–मुक्की कर अपमानित किये हैं। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवाद पत्र में नामित अभियुक्त **पूजन महतो एवं राजेश महतो के विरूद्ध धारा 341, 323, 504/34 भा0द0वि0** के अंतर्गत कारवाई करने का पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः परिवादिनी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर सम्मन सामग्री दाखिल करें। वाद आगामी दिनांक 18.09.2025 वास्ते सम्मन सामग्री हेतु। हस्ताक्षर ह0/– अ0मु0न्या0दं0 बनमनखी, पूर्णियाँ	